न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मु0न0:– 03/2022
निर्णय दिनांक:– 27.12.2022
बइजलास:– रमेश चन्द्र माहेश्वरी (आर0ए0एस0)

1. हनुमान सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज।

वादी

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर राज.
2. नानगी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज।
3. मंगल चंद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज।
4. मीना पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी सुरेश जाति कुमावत निवासी फागी हाल निवासी गोगियावास तहसील चाकसू जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता:– श्री अशोक ब्रहाम्भट वकील वादी
श्री पंकज जैन वकील प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4

वाद घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय **दिनांक:– 27.12.2022**

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2987 व 2990 किता 02 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा की भूमि ग्राम फागी उत्तर, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित हैं। जिसकी वर्तमान में खातेदारी लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुम्हार सा. देह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 जो जाति से कुमावत है लेकिन वरवक्त पर्चा सेटलमेन्ट के समय उक्त भूमि का पर्चा जारी करते समय वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के पिता लक्ष्मीनारायण की जाति कुमावत के स्थान पर कुम्हार दर्ज कर दी गई है। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के समस्त राजस्व रिकार्ड राशनकार्ड, मतदाता सूची, आधार कार्ड, बैंक पास, मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, राशनकार्ड वर्ष 1990 में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 की जाति कुमावत ही दर्ज है। उक्त विवादित भूमि की खातेदारी जाति शब्द कुम्हार दर्ज होने से वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 उक्त भूमि के बाबत् कोई सरकारी सुविधा, लोन, केसीसी आदि व अपने पिता की विरासत का नामान्तकरण खुलवानें बाबत उक्त गलत इन्द्राज होने से वंचित हो रहे है, वादी व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है, लेकिन

लगातार................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

वादी व प्रतिवादीगण के पिता / पति लक्ष्मीनारायण का दिनांक 31.03.2011 को फौत हो जाने के बाद अपनी उक्त भूमि का विरासत का नामान्तकरण खुलवानें के लियें दिनांक 26 / 12 / 21 को हल्का पटवारी से जमाबंदी की लेने गया जिस पर वादी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी प्राप्त हुई। वादी की उपरोक्त भूमि में गलत इन्द्राज होने से वादी अपनी समस्त सरकारी सुविधाओं से वंचित हो रहा एवं उक्त गलत इन्द्राज होने से वादी के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है, इसलिये वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह उक्त गलत इन्द्राज को दुरस्त करवाने हेतू वाद घोषणा व इन्द्राज दुरस्ती का पेश करें। उक्त भूमि की खातेदारी लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुम्हार निवासी फागी के नाम दर्ज है जबकि उक्त नाम, जाति आदि कोई भी ग्राम फागी में कभी नही रहा है वास्तविकता में लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुमावत निवासी फागी है उक्त भूमि में राजस्व कर्मचारियों की गलती से कुमावत के स्थान पर कुम्हार दर्ज हो गया । इसी दुरस्ती हेतू उक्त वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त इन्द्राज दुरस्ती हेतू वादी ने दिनांक 30 / 12 / 2021 को प्रतिवादी के यंहा चाराजोही की तो प्रतिवादी ने वादी से कहा कि यह उनके अधिकार क्षेत्र की बात नही है, वादी न्यायालय में जाकर चाराजोही करें, जिस पर वादी के द्वारा उपरोक्त वाद प्रस्तुत करना लाजिमी हुआ है। वाद कारण विरूद्ध प्रतिवादी दिनांक 26 / 12 / 2021 को वादी के द्वारा इन्द्राज दुरस्ती हेतू कहने पर एवं प्रतिवादी के द्वारा साफ इन्कार कर न्यायालय में जाकर चारा जोही करने पर वाद कारण विरूद्व कारण विरूद्व प्रतिवादी उत्पन्न हुआ है। विवादित भूमि ग्राम फागी उतर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसकी सुनवाई का क्षैत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जारी की गई। प्रतिवादी सं0 1 की और से पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जबाब मय फर्द मौका रिपोर्ट पेश की तथा अपने जबाब मे बताया की लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू की जाति कुमावत है तथा लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुमावत नाम का अन्य कोई व्यक्ति नही है। मृतक लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू की राजस्व रिकार्ड मे जाति कुम्हार है जो कि दुरूस्त किये जाने योग्य है।

प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 की और से वकील श्री पंकज जैन ने वकालतनामा मय इकबालिया जबाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल किया गया तथा अपने जबाब मे वादी का वाद डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की। बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने वाद पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये वादी का वाद डिकी किये जाने का निवेदन किया।

वकील प्रतिवादी अपनी बहस मे वादी का वाद डिकी किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की।

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन करने पर पाया की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2072 – 2075 वाके ग्राम फागी उत्तर के खाता सं0 649 मे लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुम्हार सा0देह दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली मे संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनुसार लक्ष्मीनारायण पुत्र लादूराम की मृत्यु पूर्व मे दिनांक 31.03.2011 को हो चुकी है। कार्यालय ग्राम पंचायत फागी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 24.12.2021 मे भी वादी की जाति कुमावत को आम बोलचाल मे कुम्हार कहना बताया है। वादी के अन्य दस्तावेजात यथा आधारकार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि मे वादी की जाति कुमावत अंकित है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब व फर्द मौका रिपोर्ट मे वादी की जाति कुमावत होने का कथंन कर दुरूस्त किये जाने योग्य बताया है। प्रतिवादीगण ने भी अपने जबाब मे वादी का वाद डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति प्रकट नही की है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे न्यायालय वादी का वाद डिक्री किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2987 व 2990 किता 02 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा की भूमि ग्राम फागी उत्तर, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुम्हार सा0देह के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुमावत सा0देह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को बराबर – बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 27.12.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र माहेश्वरी)
उपखण्ड अधिकारी
फागी,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी(जयपुर)

उपखण्ड अधिकारी फागी
जिला जयपुर

हनुमान सहाय बनाम तहसीलदार वगै0
मु0न0:– 03 / 2022
निर्णय दिनांक:– 27.12.2022

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास– रमेश चन्द्र माहेश्वरी (आर.ए.एस.)

उनवान

हनुमान सहाय पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज।

बनाम

1. तहसीलदार, तहसील फागी जिला जयपुर राज.
2. नानगी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज।
3. मंगल चंद पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कुमावत निवासी ग्राम फागी, तहसील फागी जिला जयपुर राज।
4. मीना पुत्री लक्ष्मीनारायण पत्नी सुरेश जाति कुमावत निवासी फागी हाल निवासी गोगियावास तहसील चाकसू जिला जयपुर।

::– वाद घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा ::–

मु0न0:– 03 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री अशोक ब्रहाम्भट हाजिर रूबरू प्रतिवादी वकील श्री पंकज जैन, पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि **वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2987 व 2990 किता 02 रकबा 13 बीघा 18 बिस्वा की भूमि ग्राम फागी उत्तर, तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे अंकन लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुम्हार सा0देह के स्थान पर लक्ष्मीनारायण पुत्र लादू जाति कुमावत सा0देह दुरूस्त किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को दिये जाते है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 2 लगायत 4 को बराबर – बराबर हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

निज..............................मुबलिग..................................बाबत..खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह ....फीसदी............................सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 / 12 / 2022 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत.....................
उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जिला) जयपुर